**Violation of MRTP Act by certain Companies**

2260. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to he reply given to Unstarred Question No. 4914 on 24th March, 1981 regarding violation of MRTP act by certain companies and state:

(a) whether the inspection reports (made under section 209A of the Companies Act, 1956 for non-compliance of sections 204, 205A, 383A) have been pursued;

(b) whether the replies have been received from companies;

(c) if so, what action has been taken; and

(d) details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Whereas, the question No. 4914 of 24-3-81 related to three MRTP houses Viz., Hindustan Lever Ltd., ITC Ltd., and Britania Biscuit Co. Ltd., it is presumed that the present question is only in relation to M/s. Hindustan Lever Ltd., as the charges of non-compliance of provision of Sections 204, 205A and 383A referred to in the earlier question were made only with reference to the said company. The following reply is based on this presumption:—

(a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). After considering the explanation furnished by the company, the charges relating to contravention of Sections 204 and 383A of the Companies Act were dropped in consultation with the Department of Legal Affairs. As regards the matter relating to Section 205A of the Companies Act, further clarifications have been sought for from the company through the Registrar of Companies, Maharashtra and the same are awaited.

**कहलगांव तापीय बिजली परियोजना**

2261. **श्री राम विलास पासवान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहलगांव में तापीय बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ पहली बार कब प्रस्तुत किया गया और इस पर कब रिपोर्ट तैयार हुई ;

(ख) सरकार ने अब तक इसके निर्माण कार्य हेतु कितनी धनराशि दी है और बाकी धनराशि कब दी जाएगी ; और

(ग) बिजलीघर की रिपोर्ट में प्रस्तावित क्षमता कितने मेगावाट है और सरकार द्वारा कितने मेगावाट क्षमता वाले बिजलीघर का निर्माण किया जा रहा है और इस परिवर्तन के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कहलगांव में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट सितम्बर, 1980 में प्रस्तुत की थी और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसे मार्च, 1981 में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यद्यपि इस संबंध में निवेश संबंधी निर्णय अभी लिया जाना है तथापि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है।

(ग) कहलगांव में सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में प्रथम सोपान में 800 मेगावाट की प्रतिष्ठापना की व्यवस्था की गई है, जिसमें 200–200 मेगावाट की चार यूनिटें होंगी तथा इस केन्द्र की प्रतिष्ठापित चरम क्षमता 2800 मेगावाट होगी।